



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 17.01.2025

1.थाना फेस 3 सेन्ट्रल नोएडा पुलिस द्वारा संगठित गिरोह बनाकर चोरी करने वाला गैंगस्टर एक्ट मे 20,000 हजार रुपये का ईनामी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक अवैध चाकू बरामदा

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 17.01.2025 को थाना फेस 3 पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 428/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर में 20,000 हजार रुपये का ईनामी वांछित अभियुक्त साकिव रजा उर्फ इरशाद मलिक पुत्र रफीक को हिन्डन नदी पुल के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद किया गया है। अभियुक्त एवं उसके साथियों से अप्रैल माह 2024 मे थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 126/2024 धारा 411/413/414 भादवि से सम्बन्धित 40 आर0आर0यू बरामद किये गये थे।

घटनाक्रम का विवरण-- अभि0 द्वारा अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाकर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र मे लगे टावरो से आर0आर0यू चोरी कर माल को बेचकर लाखो का आर्थिक लाभ कमाते थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. अभियुक्त साकिव रजा उर्फ इरशाद मलिक पुत्र रफीक निवासी गली नं0 11 मुस्तफाबाद भागीरथ विहार थाना भजनपुरा दिल्ली उम्र 55 वर्ष ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 428/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना फेस 3 सेन्ट्रल नोएडा , कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ।
2. मु0अ0सं0 022/2025 धारा 4/25 आ0 एक्ट थाना फेस 3 सेन्ट्रल नोएडा , कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ।
3. मु0अ0सं0 126/2024 धारा 411/413/414 भादवि थाना फेस 3 सेन्ट्रल नोएडा , कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ।

बरामदगी का विवरण--

1. एक अवैध चाकू ।

3.थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध शस्त्र, चोरी की गयी स्टील की जाली व घटना में प्रयुक्त वाहन बुलेरो पिकअप बरामदा

घटना/कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 17.01.2025 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त 1.सोनू पुत्र योगेन्द्र सोनी 2.उत्तम पुत्र रोशन सिंह को डेल्टा 3 ओ ब्लॉक सर्विस रोड के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों द्वारा थाना सूरजपुर क्षेत्रान्तर्गत स्थित बंद पड़ी कम्पनियो से स्टील की जाली को काट कर वाहन बुलेरो पिकअप में ले जाते हुए वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया है एवं कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस एवं 01 अवैध चाकू भी बरामद कया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना सूरजपुर पर मु0अ0सं0-38/2025 धारा 317(2) बीएनएस व धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. सोनू पुत्र योगेन्द्र सोनी निवासी 110/26 गली न0 06 बाबा हरिदास गीताजंलि एन्कलेव थाना जडौदा दिल्ली उम्र 30 वर्ष ,
2. उत्तम पुत्र रोशन सिंह निवासी ग्राम धौलीशेरा थाना दौलजीवी जिला पिथौरागढ हालपता गली न0 02 ग्राम छलैरा सैक्टर 44 थाना सैक्टर 39 गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 20 वर्ष

A.अभियुक्त उत्तम उपरोक्त का अपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0-38/2025 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0-172/2024 धारा 414 भादवि थाना बीटा 2 गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0-251/2024 धारा 379/411 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर
4. मु0अ0सं0-253/2024 धारा 411/414 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर

B.अभियुक्त सोनू उपरोक्त का अपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0-38/2025 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी विवरण--

1. 01 तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस
2. 01 अवैध चाकू
3. चोरी की गयी स्टील की जाली
4. घटना में प्रयुक्त एक बुलेरो पिकअप रजि0न0 डीएल 1एल एई 6017